

कार्यालय:: कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि-अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ, 31 जनवरी, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिशनर/एडिशनल कमिशनर, ग्रेड-2(वि०अनु०शा०),
समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक)/ज्वाइंट कमिशनर(वि०अनु०शा०),
समस्त डिप्टी कमिशनर(वि०अनु०शा०)/समस्त सचल दल अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा टी०डी०एफ० की आड़ में किये जा रहे माल के अवैध परिवहन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों में दिये गये निर्णय के सन्दर्भ में -

- 1 - दि कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र० बनाम सर्वश्री बिहार कैरियर कारपोरेशन वाहन संख्या-UP53T/6492 एस०/सी०टी०आर० संख्या 456/2016 दि० 11-01-2017,
- 2 - दि कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र० बनाम् सर्वश्री जय माता दी कारगो सर्विसेज प्रा०लि० एस०/टी०टी०आर० संख्या 460/2016 दि० 09-01-2017,
- 3 - दि कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र० बनाम् सर्वश्री सुप्रीम फ्रेट कैरियर्स प्रा०लि० एस०/टी०टी०आर० संख्या 473/2016 दि० 09-01-2017 एवं
- 4 - दि कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र० बनाम् सर्वश्री जय माता दी कारगो सर्विसेज प्रा०लि० एस०/टी०टी०आर० संख्या 476/2016 दि० 22-12-2016।

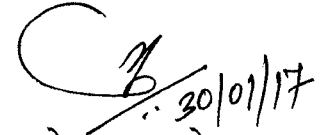
उपर्युक्त मामलों में माल दिल्ली राज्य से चलकर उत्तर प्रदेश राज्य होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर गन्तव्य दर्शाते हुए ट्रान्जिट डिक्लेरेशन फार्म डाउनलोड किये गये, परन्तु माल यू०पी० बार्डर गाजियाबाद से लोड किया गया था। जांच पर क्रेता/विक्रेता अस्तित्वहीन व फर्जी पाये गये। माल के अभिग्रहण के पश्चात् अपीलार्थी/ट्रांसपोर्टर द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष दायर की गई अपील को स्वीकार कर माल बिना जमानत छोड़ने के आदेश दिये गये थे, जिसके विरुद्ध बिना माल अवमुक्त किये हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में निर्णय हेतु निम्नलिखित 4 बिन्दु उठाये गये -

- क - वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम-2008 की धारा- 48 के अन्तर्गत माल का अभिग्रहण व मांगी गयी जमानत उचित है ?
- ख - क्या जिला गाजियाबाद की दिल्ली यू०पी० की सीमा नो मैन्स लैण्ड है ?
- ग - क्या ट्रांसपोर्टर खरीद/बिक्री के सम्बन्धवहार के लिए अजनबी है तथा कन्साईनर व कन्साईनी के सम्बन्ध में पूर्णतः अनभिज्ञ है ?
- घ - क्या धोखाधड़ी करते हुए माल के परिवहन व रंगतपूर्ण कुचक्र (colourable device) के तहत प्रान्त के बाहर से माल का परिवहन दर्शाना क्या धारा-52 के अन्तर्गत आता है या मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा- 48 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य है ?

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त धोखाधड़ी व छल कपट करते हुये फर्जी इनवॉइस बनाकर माल के परिवहन के सम्बन्ध में सचलदल अधिकारी द्वारा की गयी अभिग्रहण की कार्यवाही को उचित ठहराया गया है तथा वाणिज्य कर अधिकरण के निर्णय को

अपास्त करते हुये उपरोक्त चारों बिन्दुओं पर विभाग के पक्ष में निर्णय देते हुए अभिग्रहण आदेश व मांगी गई जमानत की पुष्टि की गई है।

अतः टी0डी0एफ0 के माध्यम से हो रहे करापवंचन पर अंकुश लगाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में क्रेताओं व विक्रेताओं की जांच कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ताकि टी0डी0एफ0 की आड़ में हो रहे करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लग सके।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।